



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना-**RAS**)

प्रकरण संख्या :- 184/2022

जी.सी.एम.एस.- 2022/241

1. मदनलाल पुत्र हरसहाय
 2. धर्मेन्द्र पुत्र बद्रीनारायण
 3. मूली देवी पत्नी स्व० बद्रीनारायण
 4. विष्णु पुत्र भगवान सहाय
- समस्त जाति नाई निवासी सैन कॉलोनी कुलचानियां का मौहल्ला कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

:- वादीगण :-

1. गिरिराज कृपा बिल्डकान प्रा० लि० जयपुर कार्यालय-125 पिकसिटी टॉवर झोटवाडा रोड, जयपुर जरिये निवेदनशक सत्यनारायण गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता जाति महाजन निवासी प्लॉट नं० 1 ई-19, शिव शक्ति कॉलोनी शास्त्रीनगर जयपुर।
2. बद्रीनारायण पुत्र गंगासहाय जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

:- प्रतिवादीगण:-

3. तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

:- तरतीबी प्रतिवादीगण:-

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री सुधीर शर्मा, एड० वादीगण

पुर्चा डिक्री

दिनांक 21/04/2025

दावा वादीगण तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा-हाल आराजी खसरा संख्या 306 रकबा 0.6070 हैक्टयर वाके ग्राम कानोता प.ह. कानोता भू.अ.नि. क्षेत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 04.04.2025 के अनुसार डिक्री किया जाता है। विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	नाम खोतदार	खसरा संख्या	रकबा (है०)
1	गिरिराज कृपा बिल्डकान प्रा० लि० जयपुर कार्यालय-125 पिकसिटी टॉवर झोटवाडा-रोड, जयपुर जरिये निवेदनशक सत्यनारायण गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता जाति महाजन निवासी प्लॉट नं० 1 ई-19, शिव शक्ति कॉलोनी शास्त्रीनगर जयपुर हिस्सा 1/2 खातेदार, बद्रीनारायण पुत्र गंगासहाय शर्मा हिस्सा 1/2 जाति हरियाणा ब्राहमण सा० जीतावाला।	306/1	0.2428
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.2428
2	धर्मेन्द्र पुत्र बद्रीनारायण हिस्सा 1/2, मूली देवी पत्नी स्व० बद्रीनारायण हिस्सा 1/2 जाति नाई सा० देह।	306/2	0.1214
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.1214
3	मदनलाल पुत्र हरसहाय जाति नाई सा० देह।	306/3	0.1214
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.1214
4	विष्णु पुत्र भगवानसहाय जाति नाई सा० देह।	306/4	0.1214
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.1214

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) बस्सी के जरिये पत्राक भू.अ./2025/1764 दिनांक 04.04.2025 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। यह निर्णय आज दिनांक 21/04/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम प्रकाश मोना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

